

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



पत्र0सं0- 1171 / एल0ए0सी0/ एच0क्यू0 / (ल0)

दिनांक : 24-10-2024

नोटिस

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम-(1), 1966) की धारा-28 के अंतर्गत नोटिस)

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत विकासकर्ता मैसर्स बिहानी कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा जनपद लखनऊ के ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, लखनऊ में बनाई गयी योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर : खसरा संख्या-1744, 1745, 1746, 1749 (भाग), 1767 (भाग), 1768, 1769, 1783, 1792, 1796, 1797 (भाग), 1798 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, लखनऊ।

पूरब : खसरा संख्या-1800, 2343, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2373, 2375, 2376, 2387, 2388, 2392 (भाग), 2394, 2394, 2395 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

दक्षिण : खसरा संख्या-1685, 1686 ग्राम-सिसैंडी एवं खसरा संख्या-1681, 1697, 1699 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पश्चिम : खसरा संख्या-1601, 1683, 1684, 1760 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, लखनऊ (मौरावां- मोहनलालगंज, मार्ग, लखनऊ)।

योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 02:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी / विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-9, उ०प्र० आवास विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि / भवन / ग्राम का नाम / खसरा नम्बर / भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

(डा० बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

📱 UPHousingBoard 🌐 www.upavp.in 📧 info@upavp.com